रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 902] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 31, 2017/चैत्र 10, 1939
No. 902] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 31, 2017/CHAITRA 10, 1939

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2017

का.आ. 1013(अ).—सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और हिताधिकारियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति से उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता समाप्त करता है;

और, भारत सरकार का जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास एवं क्षमता निर्माण स्कीम (इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) के सूचना, शिक्षा एवं संसूचना संघटक के अधीन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार राशि प्रदान करके विद्यालय के बालकों (छठी, सातवीं और आठवी कक्षा) के लिए चित्रकला प्रतियोगिता और अठारह वर्ष की आयु तक के विद्यार्थियों के लिए निबंध प्रतियोगिता कार्यान्वित कर रहा है;

और, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड जो अपने क्षेत्रीय कार्यालयों (जिसे इसमें इसके पश्चात कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) के साथ स्कीम को कार्यान्वित करता है, को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का उपयोग प्रतियोगिताओं के विजेताओं (जिसे इसमें इसके पश्चात हिताधिकारी कहा गया है) के बीच पुरस्कार राशि और आनुषंगिक प्रभारों (जिसे इसमें इसके पश्चात प्रसुविधा कहा गया है) के वितरण के लिए किया जाता है;

और, स्कीम के अधीन दी जाने वाली प्रसुविधाओं में भारत की संचित निधि से आवर्ती व्यय अन्तर्वलित है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, निम्नलिखित अधिसूचित करती है अर्थातः-

1. (1) स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने की वांछा करने वाले किसी व्यक्ति से उसके पास आधार संख्यांक होने का प्रमाण प्रस्तुत करने या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करने की अपेक्षा की जाएगी;

(2) स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के हकदार ऐसे हिताधिकारी से, जिसके पास आधार संख्यांक नहीं है या जिसने अभी आधार के लिए नामांकन नहीं करवाया है, किन्तु स्कीम के अधीन प्रसुविधाओं का उपभोग करने का इच्छुक है, 31 अगस्त, 2017 तक

आधार नामांकन के लिए आवदेन करना होगा यदि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों अनुसार आधार अभिप्राप्त करने के लिए हकदार हो और ऐसे व्यक्तियों को आधार के लिए नामांकन हेतु किसी आधार नामांकन केन्द्र (www.uidai.gov.in पर सूची उपलब्ध) जाना होगा;

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के नियम 12 के अनुसार जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, अपने कार्यान्वयन अभिकरण, जो किसी व्यक्ति से आधार रखने का सबूत प्रस्तुत करने की अपेक्षा करता है, के माध्यम से और ऐसे हिताधिकारियों के लिए, जिन्होंने आधार के लिए अभी नामांकन नहीं कराया है, आधार नामांकन सुविधाएं सुनिश्चित करेगा और यदि संबंधित ब्लाक या तालुका अथवा तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र अवस्थित नहीं है तो जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के विद्यमान रजिस्ट्रार के साथ समन्वय करके अथवा यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधा उपलब्ध करा सकेगा ।

परन्तु व्यक्तियों का आधार संख्यांक समनुदेशित किए जाने के समय तक स्कीम के अधीन ऐसे व्यक्तियों को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने के अधीन रहते हुए प्रसुविधा दी जाएगी अर्थातः-

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची; या

(ii) पैरा 2 के उप-पैरा (ख) में यथा विनिर्दिष्ट आधार नामांकन हेतु उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति; और

(ख) (i) बैंक पास बुक या डाकघर की पासबुक फोटो सहित; या (ii) राशन कार्ड; या (iii) पासपोर्ट; या (iv) किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा उसके शासकीय पत्र पर फोटो सहित जारी ऐसे व्यक्ति की पहचान का प्रमाणपत्र; या (v) जन्म प्रमाणपत्र या (vi) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेजः

परन्तु यह और कि उपर्युक्त दस्तावेजों की जांच, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा इस प्रयोजनार्थ अभिहित अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. स्कीम के अधीन हिताधिकारियों को सुविधाजनक और निर्बाध प्रसुविधा देने के लिए, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से सभी अपेक्षित व्यवस्था करेगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी है, अर्थातः-

(क) स्कीम के अधीन आधार की अपेक्षा के बारे में हिताधिकारियों को जागरूक बनाने हेतु मीडिया और व्यक्तिगत सूचना के माध्यम से व्यापक प्रचार और यदि उन्होंने पहले नामांकन नहीं करवाया है तो उन्हें 31 अगस्त, 2017 तक उनके क्षेत्र में उपलब्ध निकटतम आधार नामांकन केन्द्र में नामांकन कराने की सलाह दी जा सकेगी तथा उन्हें स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केन्द्रों की सूची उपलब्ध करायी जाएगी।

(ख) यदि निकट आस पास क्षेत्र जैसे ब्लाक या तालुका या तहसील में नामांकन केन्द्र उपलब्ध न होने के कारण स्कीम के अधीन हिताधिकारी आधार नामांकन कराने में समर्थ नहीं हैं तो जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय से अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधा का सृजन करने की अपेक्षा की जाती है और हिताधिकारियों से अनुरोध किया जाए कि वे अपना नाम, पता, मोबाइल नं. तथा पैरा 1 के उप-पैरा (3) के पहले परंतुक में यथा विनिर्दिष्ट अन्य ब्यौरे देकर जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के संबंधित पदाधिकारियों या उसके कार्यान्वयन अभिकरण अथवा इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध कराए गए वेब पोर्टल के माध्यम से आधार नामांकन के लिए अपना आवेदन पंजीकृत कराएं।

3. यह अधिसूचना राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से, असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में प्रभावी होगी।

[फा. सं. के-11025/1/2017-आईईसी]

अखिल कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WATER RESOURCES,RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2017

S.O. 1013(E).—Whereas the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly to them in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation in the Government of India is implementing Painting Competition for School Children (of the 6th, 7th and 8th standard) and Essay Competitions for the students up to the age of eighteen years under the Information Education and Communication component of the Human Resource Development and Capacity Building Scheme (hereinafter referred as the Scheme) by awarding prize money to the winners of the competitions;

And whereas, Financial Assistance provided by the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, to the Central Ground Water Board, who along with its regional offices implements the Scheme (hereinafter referred to as the Implementing Agency), is used for distribution of the prize money and incidental charges (hereinafter referred to as benefits) among the winners of the competitions (hereinafter referred to as the beneficiaries);

And whereas, the benefits offered under the Scheme involve recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1. (1) An individual desirous to availing benefits under the Scheme shall be required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication;

(2) any individual entitled to receive benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, but desirous of availing benefits under the Scheme, shall have to apply for Aadhaar enrolment by 31st August, 2017, in case he is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment center (list available at www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrollment;

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation through its Implementing Agency, which requires an individual to furnish proof of possession of Aadhaar, and shall ensure Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation through its Implementation Agency may provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India (UIDAI) or by becoming UIDAI Registrar:

Provided that till the time Aadhaar number is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individuals subject to the production of the following documents, namely :-

(a) (i) if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of his request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (b) of paragraph 2; and

(b) (i) Bank Passbook or Post Office Passbook with photograph; or (ii) Ration Card; or (iii) Passport; or (iv) Certificate of Identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer on an official letter head; or (v) Birth Certificate; or (vi) any other documents as specified by the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation:

Provided, further that the above documents shall be checked by an officer designated by the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits under the Scheme to the beneficiaries, the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation through its Implementing Agency shall make all the required arrangements including the following:-

(a) Wide publicity through media and individual notices shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centers available in their areas by 31st August, 2017, in case they are not already enrolled and the list of locally available enrolment centers shall be made available to them.

(b) In case, the beneficiaries under the Scheme are not able to enroll for Aadhaar due to non-availability of enrolment centres in the near vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation through its Implementation Agency are required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other details as specified in the first proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the concerned officials of the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation or its Implementation Agency or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union Territories Administrations except the States of Assam, Meghalaya and the State of Jammu and Kashmir.

[F. No. K-11025/1/2017-IEC]

AKHIL KUMAR, Jt. Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.04.03 11:46:50 +05'30'